उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 1099 /2012/181(120)/XXVII(8)/08
देहरादूनः दिनांकः 17 दिसम्बर, 2012

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, "उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर(संशोधन) अधिनियम, 2012" की क्रम संख्या 1(2) पर उल्लिखित व्यवस्था के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं0 178/XXXVI(3)/2012/35(1)/2012 दिनांक 13 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित "उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर(संशोधन) अधिनियम, 2012" की निम्नलिखित प्राविधानों को दिनांक 01 मार्च, 2013 से प्रवृत्त किये जाने का सहर्ष आदेश देते हैंः–

1. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 7 पर उल्लिखित धारा 47 का हटाया जाना।
2. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 8 पर उल्लिखित धारा 48 का संशोधन।
3. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 9 पर उल्लिखित धारा 49 का संशोधन।
4. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 10 पर उल्लिखित धारा 50 का संशोधन।
5. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 11 पर उल्लिखित धारा 51 का संशोधन।
6. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 12 पर उल्लिखित धारा 53 का संशोधन।
7. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 13 पर उल्लिखित धारा 56 का संशोधन।
8. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 14 पर उल्लिखित धारा 58 का संशोधन।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

सं0 1099 /2012/181(120)/XXVII(8)/08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, ट्रांसपोर्टर्स, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4–सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(प्रदीप सिंह रावत)
अनुभाग सचिव।